न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

***हसनपुर थाना काण्ड सं0 56/20*, कम्पयूटर निबंधन सं0 326/20**

05.3.21 आवेदक **1 कृष्ण कुमार,** जो हसनपुर थाना काण्ड सं0 56/20, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 3.2.21 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश प्रसाद सिंह के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। आवेदक जप्त मोटरसाईकल का स्वामी है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उनके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उनका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस झुठे वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नही बनती है। उनके विरूद्व पूर्व से एक वाद लम्बित है जो उत्पाद से संबंधित नही है। वह दिनांक 3.2.21 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक जप्त मोटरसाईकल का स्वामी है जिसका आपराधिक इतिहास है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी अज्ञात मोटरसाईकल के मालिक एवं चालक के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अंकित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा घटनास्थल पर वाहनो की चेकिंग कर रहा था। इस क्रम में बिना निबंधन संख्या के एक मोटरसाईकल पर दो व्यक्ति सवार होकर आये जो पुलिस बल को देखकर मोटरसाईकल को छोड़कर भागने में सफल हो गये। सूचक द्वारा तलाशी के क्रम में उपरोक्त मोटरसाईकल की हैण्डल में टंगे झोला से 180एम0एल0 का 15 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। अभिलेख पर दाखिल केसडायरी की कंडिका–25 के अनुसार आवेदक उपरोक्त मोटरसाईकल का स्वामी है। कंडिका–73 के अनुसार उसके विरूद्व हसनपुर थाना काण्डसं0 226/20 लम्बित है जो उत्पाद से संबंधित नही है। वह दिनांक 3.2.21 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. कृष्ण कुमार क**ो मो0 10,000/–रू0(दस हजार)रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्त इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद